

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 28/20

तारीख दायर 05/02/2020

1. चद्रसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. प्रहलादसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नारायणसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. अमरसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. पेमा पिता लालु जाति भील निवासी निमड़ीगुआं तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 23/12/2020

प्रार्थना पत्र चन्द्रसिंह ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज कुमार धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 90 पर अंकित आराजी संख्या 1194/1055 रकबा 4-18 बीघा, आराजी संख्या 1230/1055 रकबा 3 बीघा किता 2 रकबा 7-18 बीघा भूमि स्थित है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 207 -207 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 90 पर अंकित आराजी संख्या 1194/1055 रकबा 4-18 बीघा, आराजी संख्या 1230/1055 रकबा 3 बीघा किता 2 रकबा 7-18 बीघा भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा
बिजौलियाँ